उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-27/2022/4483(1)/41/2021-150(बजट)/2018-टी0सी0
लखनऊ:: दिनांक 09 जनवरी, 2022

शुद्धि-पत्र

जनपद चन्दौली के राजदरी एवं देवदरी के लिए ईको-टूरिज्म के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-02/2022/4483/41/2021-150(बजट)/2018-टी0सी0, दिनांक 04.01.2022 के प्रस्तर-4 में अंकित अनुदान सं0-अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के स्थान पर अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-10-ईको टूरिज्म का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 04.01.2022 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, चन्दौली।
4. मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक, पर्यटन वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
8. निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस, जल निगम, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस, जल निगम, वाराणसी।
10. निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण **(UPNEDA)**, लखनऊ, उ0 प्र0।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in